संख्या : 509/59-2-2014-18(खा)/2009

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ख़ादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 14 जुलाई, 2014

**विषय : सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2014-15 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या-77/खा0ग्रा0बो0/बजट/प्रशि0अनु0/2014-15 दिनांक 04 जून, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (सामान्य) हेतु लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 75,00,000.00 (रू0 पचहत्तर लाख मात्र) में से प्रथम चार माह हेतु धनराशि रू0 25,00,000.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर संलग्नक फॉट के अनुसार निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के विवर्तन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-08 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाय।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

525
16.7.2014

योजनाधिकारी (प्रशिक्षण)
वरि0....का0अधि0
16/7

श्री द्विवेदी
16/7

...............2

5. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–05 के लेखा शीर्ष "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तर–105–खादी ग्रामोद्योग–26–कौशल सुधार प्रशिक्षण–44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–795/दस–2014–231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में की गयी व्यवस्थानुसार निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या : 502 (1)/59–2–2014–18(खा)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–4/औद्योगिक विकास अनुभाग–3
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0, 126, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

N.Sn
(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव